

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०ए०)

वाद सं० : 371 रान 2022

अनवान :-

1. दाताराम पुत्र ईशर जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कालुराम पुत्र ईशर जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. मैना उर्फ महेन्द्रा पुत्री ईशर जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. कैलाश पुत्री ईशर जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. कमला उर्फ बिमला पुत्री ईशर जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 19/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 42/42 की कुल 14.8340 हैक् में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के नाम 412/7417 हिस्सा एवं नानुदेवी पत्नी ईशर के नाम 412/7417 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि नानुदेवी पत्नी ईशर के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है नानुदेवी पत्नी ईशर जो वादी की माता है का देहानत हो चुका है नानुदेवी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो नानुदेवी पत्नी ईशर के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है एवं नानुदेवी पत्नी ईशर की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 एव मृतक नानुदेवी पत्नी ईशर के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 एवं नानुदेवी पत्नी ईशर के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है नानुदेवी पत्नी ईशर जो वादी की माता है का देहानत हो चुका है नानुदेवी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी

1 ता 4 है जो नानुदेवी पत्नी ईशर के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गांव के (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 42/42 की कुल 14.8340 हैक् में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के नाम 412/7417 हिस्सा एवं नानुदेवी पत्नी ईशर के नाम 412/7417 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि नानुदेवी पत्नी ईशर के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है नानुदेवी पत्नी ईशर जो वादी की माता है का देहानत हो चुका है नानुदेवी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो नानुदेवी पत्नी ईशर के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है।


प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है एवं नानुदेवी पत्नी ईशर की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद/कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 42/42 की कुल 14.8340 हैक् में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के नाम 412/7417 हिस्सा एवं नानुदेवी पत्नी ईशर के नाम 412/7417 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 एवं नानुदेवी पत्नी ईशर के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है नानुदेवी पत्नी ईशर जो वादी की माता है का देहानत हो चुका है नानुदेवी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो नानुदेवी पत्नी ईशर के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की


उपखण्ड अधिकारी
नोहर


भूमि है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है


वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर घसपा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के गध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 42/42 की कुल 14. 8340 हैक् में से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक के नाम 412/7417 हिस्सा एवं नानुदेवी पत्नी ईशर के नाम 412/7417 हिस्सा भूमि दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/5/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

उपखण्ड (अनुमतिमजरीट)
मोहर (अनुमतिमजरीट)

प्रशासन गांव कोसंग अभियान वर्ष- 2022
कैम्प कोर्ट.....

प्रशासन गांव के संग (फोलोअप)अभियान वर्ष - 2022
पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. दाताराम पुत्र ईशर जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. कालुराम पुत्र ईशर जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. मैना उर्फ महेन्द्रा पुत्री ईशर जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. कैलाश पुत्री ईशर जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. कमला उर्फ बिमला पुत्री ईशर जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 371 सन 2022 निर्णय दिनांक-19/05/2022

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022 में मुझ श्वेता

कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 42/42 की कुल 14.8340हैव में से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक के नाम 412/7417 हिस्सा एवं नानुदेवी पत्नी ईशर के नाम 412/7417 हिस्सा भूमि दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप)अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2022
कैम्प कोर्ट.....